



समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व केंद्र मंडल ग्वालियर,  
जिला-जबलपुर, म0प्र0

रा.अ.प्र.कं.- अपील-८४८७/२०१८/करनी) अ.रा.

अपीलार्थी:-

मेसर्स एडवर प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा श्री सर्वपल्ली ब्रह्मी  
नारायण, निवासी- डाबर इंडिया लिमिटेड पहुंचा कटनी,

म0प्र0

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

प्रत्युत्तरार्थी 21 अप्रैल 2018  
म0प्र0  
उत्तरार्थी-  
अधिकारी  
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर समाज

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि:-

अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त अपील विचारण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर  
महोदय, कटनी, जिला-कटनी द्वारा रा.प्र.कं. 04/अ-25/2017-18 में  
पारित आदेश दिनांक 08/05/2018 से व्यक्ति होकर निम्नलिखित तथ्यों  
एवं आधारों पर प्रस्तुत है।


### अपील के तथ्य

- यह कि, अपीलार्थी उपरोक्त पते का निवासी है और मेसर्स एडवर  
प्राइवेट लिमिटेड, में उपरोक्त कार्य के लिये अधिकृत किया गया है।
- यह कि, अपीलार्थी द्वारा कंपनी की ओर से अधिकृत होकर ग्राम  
मटवारा, प.ह.नं. 78, रा.नि.मं. सिलमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, स्थित  
खसरा नंबर-400/2, 419, कुल रकवा 0.55 हेक्टेयर, आवेदक के  
भूमिस्वामी हक की भूमि के बदले शासकीय भूमि ख.नं. 373, रकवा  
4.92 हेक्टेयर, भूमि में से 0.55 हेक्टेयर, भूमि तबादले में दिये  
जाने की मांग की ग़इरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा  
गया। और उसके द्वारा नामांतरण कर दर्ज कराया गया है।
- यह कि, आवेदक कंपनी द्वारा उपरोक्त ग्राम में वृक्षारोपण का कार्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील/5887/2018/कटनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अग्रिमा तर्कों आदि के हस्ताक्षर
५-१०-१८  	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार खरे उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत प्रकरण आगे न चलाने के कारण प्रकरण (नोट प्रेस) में समाप्त किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	